सरयू राय
निवर्तमान विधायक
झारखण्ड विधान सभा

दूरभाष : 0657–2431255
मोबाईल : 094311–14466
आवास : 42 जे0 रोड, बिष्टुपूर,
जमशेदपूर – 831 001

दिनांक 8 सितम्बर, 2010

सेवा में,
महामहिम राज्यपाल महोदय,
झारखंड, रांची ।

विषय : पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों द्वारा झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में किए गए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के लिए झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो द्वारा दायर मुकदमा सी.बी.आई. को सौंपने के संबंध में।

महाशय,

आपको मालूम होगा कि उपर्युक्त विषयक मुकदमे की जांच झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो से लेने के लिए सी.बी.आई. ने करीब दो सप्ताह पूर्व झारखंड सरकार को अनुरोध पत्र भेजा है। कारण कि यह घोटाला भी उसी प्रवृति का है, जिस प्रवृति का मुकदमा दुर्गा उरांव बनाम राज्य सरकार का है। जिसकी जांच माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा विगत 4 अगस्त 2010 को दिए गए निर्देश के अनुसार सी.बी.आई. कर रही है। दिल्ली पुलिस स्टैब्लिसमेंट एक्ट की धारा-5 के अंतर्गत जरुरी है कि राज्य सरकार निगरानी ब्यूरो के द्वारा दायर इस मुकदमे को सी.बी.आई. को सौंपने पर राजी हो। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व सी.बी.आई. ने राज्य में अवैध खनन की जांच करने का अनुरोध राज्य सरकार को भेजा था, जिसे स्वीकार कर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है।

उपर्युक्त विषयक कांड में विगत मार्च 2010 में आयकर विभाग ने विस्तृत जांच प्रतिवेदन झारखंड सरकार को भेजा है, जो 31 अक्टूबर 2009 और 16 फरवरी 2010 को अभियुक्तों के ठिकानों पर की गई छापामारी में जब्त कागजातों और अभियुक्तों द्वारा शपथ पत्र पर दिए गए बयानों पर आधारित है। जांच प्रतिवेदन में आई.भी.सी.आर.एल. कम्पनी द्वारा 7 जून 2007 से 24 दिसम्बर 2007 के बीच विभिन्न तिथियों पर श्री मधु कोड़ा को दी गई 11 करोड़ 40 लाख रुपया रिश्वत का तिथिवार विवरण दिया हुआ है। यह रिश्वत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लातेहार, गढ़वा और पलामू जिलों में करीब 469 करोड़ रुपया का काम इस कम्पनी को देने के एवज में दी गई है।

जांच प्रतिवेदन में आई.भी.सी.आर.एल. कम्पनी के झारखंड प्रभारी श्री डी.के. श्रीवास्तव के शपथ पत्र पर दिया गया बयान संलग्न है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 11.40 करोड़ की रिश्वत कार्य आवंटन के पूर्व दी गई, जिसकी सूचना माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में दे दी गई है। (पी.आई.एल. संख्या 4700/2008) श्री मधु कोड़ा की तरफ से विनोद सिन्हा के निर्देश पर विद्युत बोर्ड के अधिकारी कार्य आवंटन का आदेश देते थे। कुल राशि का 3 प्रतिशत कमीशन श्री मधु कोड़ा के लिए था, जिसका सामंजन करने के लिए कार्य के प्राक्कलन में बोर्ड ने वृद्धि किया। आयकर विभाग की छापामारी में आई.भी.सी.आर.एल. कम्पनी ने 35 करोड़ 60 लाख रुपया का ऐसा खर्च बताया है, जिसका हिसाब नहीं है।

आई.भी.सी.आर.एल. कम्पनी के संयुक्त सचिव श्री वाई. शिवा रेड्डी ने शपथ पत्र पर दिए बयान में आयकर अधिकारियों को बताया है कि 35 करोड़, 59 लाख, 39 हजार रुपया बतौर रिश्वत दिया गया है, जिसमें 11 करोड़, 4 लाख रुपया का भुगतान मुम्बई में मनोज पुनमिया के ममेरा भाई और हवाला करोबारी ललित जैन को किया गया है।

इस मामले की जांच मा. उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों के साथ सी.बी.आई. बेहतर रूप से करेगा। अतः अनुरोध है कि इस मामले में राज्य निगरानी ब्यूरो द्वारा दायर मुकदमा को अतिशीघ्र सी.बी.आई. को सौंपने की कृपा करेंगे और इसके लिए दो सप्ताह पूर्व सी.बी.आई. द्वारा भेजे गए अनुरोध को स्वीकार कर तद्नुसार निर्देश देने की कृपा करेंगे।

सादर,

भवदीय
सरयू राय
(सरयू राय)